# राजस्थान सरकार
## स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(ब.घों.)डीएलबी/24/5896 दिनांकः 24/03/2025

**अधिसूचना**

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका नाथद्वारा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में नवीन सीमा क्षेत्र सम्मिलित किए जाने हेतु विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 1461-1430 दिनांक 28/01/2025 जारी की गई थी । उक्त अधिसूचना प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित की जाती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

**( इन्द्रजीत सिंह )**
**निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव**

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/24/5897-5925 दिनांकः 24/03/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव/ उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नगर निगम में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त उदयपुर ।
10. **जिला कलक्टर** राजसमन्द को भेजकर निवेदन है कि नगरपालिका नाथद्वारा की सीमा क्षेत्र एवं ग्रांम पंचायत सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जावें एवं विभाग को अवगत कराने का श्रम करावे। संबंधित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से सूचित कराया जावे।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर/पी.आर.ओ. निदेशालय।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।



Scanned with OKEN Scanner

13. वित्तीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
15. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. सरपंच/उपसरपंच/सचिव, संबंधित उदयपुर **जिला** उदयपुर ।
17. सुरक्षित पत्रावली।

**निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव**

Scanned with OKEN Scanner